

## मनरेगा के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की भूमिका



1. मनरेगा अधिनियम में यह प्रावधान है कि मनरेगा के कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायत प्रधान कार्यान्वयन एजेंटों होंगे। यह भी प्रावधान है कि पंचायत क्षेत्र में होने वाली कुल व्यय का न्यूनतम 50 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा। यह स्पष्टता आवश्यक है कि ग्राम पंचायत का तात्पर्य पंचायत कार्यकारिणी है न कि कोई एकल पदधारक से।
2. अधिनियम में खुलापन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रावधान किये गये हैं।
3. मनरेगा के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की संस्थागत भूमिका सुनिश्चित करने के लिए निम्नवत दिशा-निर्देश दिये गये हैं :-
- 3.1 मनरेगा के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यय प्रत्येक सप्ताह ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन कराकर ही किया जाये। मनरेगा अधिनियम के अन्तर्गत जो कार्य हो रहे हैं, उनमें होने वाले व्यय से संबंधित श्रम एवं सामग्री भुगतान विवरणों MIS से Generate की जानी है। उस विवरणों को ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही उस विवरणों में सन्निहित राशि का भुगतान किया जायेगा। कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के बिना भुगतान नहीं किया जायेगा। पंचायत रोजगार सेवक की यह जिम्मेदारी होगी कि वे समय पर मस्टर रोल और वाउचर की प्रतिलिपि करके Wage List एवं Material List तैयार करें और उसे कार्यकारिणी

- समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।
- 3.2 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति : सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियां ग्राम पंचायतों को प्रदान की गयी हैं। अतः तदनुसार हर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रदान की जाये। प्रशासनिक स्वीकृति तभी प्रदान की जाये, जब योजना ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित हो, वार्षिक कार्य योजना में शामिल हो, सक्षम अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन उपलब्ध हो। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त मानव प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत कार्यकारिणी द्वारा दी जायेगी। योजना की प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत की मुखिया द्वारा नहीं दी जा सकती बल्कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को ही प्रशासनिक स्वीकृति देनी है।
- 3.3 जन शिकायत निवारण : राज्य सरकार द्वारा मनरेगा में जन शिकायतों के निवारण के लिए नियमावली अविज्ञित की गयी है। उक्त नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि मनरेगा के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले जन शिकायतों के निष्पादन का प्रारंभिक स्तर ग्राम पंचायत होगी। तदनुसार ग्राम पंचायत के स्तर पर जो भी शिकायतें प्राप्त होंगी, उन पर कार्यकारिणी समिति में विचार किया जायेगा। कार्यकारिणी समिति आवश्यकतानुसार उनकी जांच करायेंगी और विधि समत कार्रवाई करेगी। ऐसी शिकायतें कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा भी लायी जा सकती हैं। प्राप्त हुई सभी शिकायतों पर समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत निष्पादन सुनिश्चित कराया जाये। पंचायत स्तर पर शिकायत निवारण में पंचायत

- रोजगार सेवक की प्रमुख जिम्मेदारी है और वह पंचायत शिकायत निवारण पंजी का संचारण सुनिश्चित करेंगे।
- 3.4 सामाजिक अंशेक्षण एवं प्रचार : प्रचार प्रसार संबंधी की जा रही कार्रवाई की समीक्षा कार्यकारिणी समिति द्वारा की जायेगी।
- 3.5 स्वीकृति प्रदत्त कार्ययोजनाओं की प्रगति की समीक्षा : कार्यकारिणी समिति की यह जिम्मेदारी होगी कि अधिनियम के अन्तर्गत मंजूर की गयी सभी योजनाओं की प्रगति की सामयिक तौर पर समीक्षा करें। कार्यकारिणी समिति यह देखेगी कि जो काम लिये गये हैं, उनकी उचित प्रगति चल रही है, उनके कार्यान्वयन में कोई व्यवधान आ रहा हो तो उसको दूर किया जाये और समय सीमा के अन्दर योजनाएं पूर्ण हों। योजनाओं की अंतिम मापी हो जाये तथा जेटोग्राफी हो जाये।
- 3.6 प्रशासनिक व्यवस्था : प्रत्येक पंचायत में कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को पंचायत के कार्यालय में होगी। जिन पंचायतों में पंचायत सचिव एक से अधिक पंचायतों के प्रभार में हैं, उनके लिए प्रभार के पंचायत की साप्ताहिक कार्यकारिणी की बैठक गुरुवार को होगी। यदि किसी कारणवश साप्ताहिक बैठक नियत तिथि को नहीं हो सकी तो वह उसके ठीक उमले कार्य दिवस को होगी। इन बैठकों के लिए नोटिस निर्यत करने की बाध्यता नहीं होगी। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति में पंचायत रोजगार सेवक, मनरेगा सहायक के रूप में भाग लेंगे, वे सभी संबंधित कामजात कार्यकारिणी के अवलोकन के लिए समय प्रस्तुत करेंगे। कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही एक पंजी में संचारित की

- जायेगी। कार्यवाही बैठक के तुरंत बाद वहीं लिखी जायेगी और उसमें उपस्थित सभी सदस्यों का हस्ताक्षर कराया जायेगा। ग्राम पंचायत के मुखिया की अनुपस्थिति में कार्यकारिणी की बैठक के संबंध में पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उप मुखिया एवं उसकी अनुपस्थिति में वैकल्पिक अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जायेगी। कार्यकारिणी समिति की कार्यवाही के सार की अभिप्रमाणित प्रति के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी। यह बैठक पंचायत के कार्यालय में होगी।
4. कार्यक्रम पदाधिकारी इन निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा सुनिश्चित करके शत-प्रतिशत अनुपालन करायेंगे। कार्यक्रम पदाधिकारी, पंचायत तकनीकी सहायकों एवं कमीय अभियंताओं का रोस्टर बना देंगे ताकि वे भी सक्रिय रूप में इन बैठकों में अनिवार्य रूप से भाग ले सकें।
5. मनरेगा के कार्यान्वयन में पंचायत समिति की नियरानी एवं अनुश्रवण की भूमिका है। तदनुसार संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी इन निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेंगे।
6. इन दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन राज्य के सभी प्रखंडों के ग्राम पंचायतों में अप्रैल 2013 से शुरू किया जा चुका है। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं वार्ड सदस्यों से अपील है कि वे उक्तवत कार्रवाई करें। यह सूचना जनहित में प्रकाशित की जा रही है।